



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230212
CG-DL-E-07102021-230212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3774]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/ आश्विन 15, 1943

No. 3774]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(रिफाइनरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4108(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2020(अ), तारीख 22 जनवरी 2021, भारत के राजपत्र सं. 1881 – तारीख 25 मई 2021, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में “कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड (पूर्व नाम:- आई.एच.बी. प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबन्धित भू-स्वामियों को तारीख 14 जुलाई 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा;

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : गाजीपुर		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर—	एयर—	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
सैदपुर	मकरसन	92	00	00	71
		93	00	03	82
		91	00	00	52
		85	00	11	10
		83	00	00	64
		81	00	05	86
		80	00	00	58
		68	00	04	02
		67	00	07	69
		64	00	00	36
		99	00	00	58
		63	00	00	20
		57	00	01	00
		58	00	04	09
		56	00	09	09
		38	00	00	38
		21	00	06	67
		22	00	01	49
		20	00	04	41
		18	00	00	35
		17	00	02	21

		16	00	02	43
		15	00	02	42
सैदपुर	नसीरपुर	71	00	00	52
		92	00	07	04
		90	00	01	84
		89	00	01	45
		88	00	01	60
		83	00	00	20
		84	00	00	20
		87	00	02	36
		64	00	00	31
		43	00	06	55
		42	00	04	21
		44	00	01	16
		46	00	01	65
		35	00	00	45
		14	00	08	00
		16	00	03	81
		17	00	00	31
		18	00	03	98
		19	00	04	91
		20	00	03	95
		21	00	00	28

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**(Refinery Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2021

S.O. 4108(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 2020 (E) Dated 22 January 2021 published in the Gazette of India Gazette No 1881 dated 25 May 2021 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) , Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline Project” for the transportation of LPG in tehsil Saidpur District Ghazipur In the state of Uttar Pradesh by IHB Limited (Formerly known as IHB Private Limited).

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 14 July 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date publication of the declaration in IHB Limited free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Ghazipur		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Saidpur	Makarsan	92	00	00	71
		93	00	03	82
		91	00	00	52
		85	00	11	10
		83	00	00	64
		81	00	05	86
		80	00	00	58
		68	00	04	02
		67	00	07	69
		64	00	00	36
		99	00	00	58
		63	00	00	20
		57	00	01	00
		58	00	04	09
		56	00	09	09
		38	00	00	38
		21	00	06	67
		22	00	01	49
		20	00	04	41
		18	00	00	35
		17	00	02	21
		16	00	02	43
		15	00	02	42
Saidpur	Nasirpur	71	00	00	52
		92	00	07	04
		90	00	01	84
		89	00	01	45
		88	00	01	60
		83	00	00	20
		84	00	00	20
		87	00	02	36

64	00	00	31
43	00	06	55
42	00	04	21
44	00	01	16
46	00	01	65
35	00	00	45
14	00	08	00
16	00	03	81
17	00	00	31
18	00	03	98
19	00	04	91
20	00	03	95
21	00	00	28

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.